

231

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक - 15 APR 2010

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।


विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित) के विनियम 14.14 में नगद/बैंक ड्राफ्ट के पश्चात् बैंक गारन्टी जोड़े जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

उक्त संशोधन मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2010 के विनियम 14.14 तथा मॉडल स्थानीय निकाय नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2010 के विनियम 12.17 में भी लागू होंगे।

भवदीय,




(एन. एल. मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/ भीलवाडा/ बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/ श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को निर्देशित करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव-तृतीय

19/4/10 - 2000 1000K ↓